

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2001

संख्या का.वा. 38/ह.व. 12/1999/घा 8 तथा 24/2001. -- चूंकि हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 10) तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हरियाणा सहायता-प्राप्त विद्यालय (सेवा सुरक्षा) नियम, 1974, में अंशदायी भविष्य-निधि की परिकल्पना की गई है जिसमें निजी प्रबंध वाली, सरकारी सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नियोजित तथा कर्मचारी दोनों विहित अनुपात में अंशदान करने के लिए अपेक्षित हैं। निजी तौर पर प्रबंध वाले, सहायता प्राप्त विद्यालयों के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारी अपनी अभिवर्धिता के समय उक्त नियमों के नियम 35 तथा 42 के अन्तर्गत, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियम दर से उपदान के अतिरिक्त इस प्रकार जमा अंशदायी भविष्य-निधि तथा उस पर अर्जित ब्याज की रशि की अदायगी के लिए पात्र हैं।

और चूंकि, निजी प्रबंध वाली सरकारी सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारी अपने लिए पेंशन स्कीम लागू करने हेतु सरकार को प्रतिवेदन दे रहे हैं ताकि वे बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकें।

और चूंकि, सरकार की इस तथ्य के प्रति सजग रहते हुए कि राज्य सरकारों, शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी तथा निजी प्रबंध वाली सहायता-प्राप्त संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में समानता नहीं हो सकती। किन्तु निजी प्रबंध वाली सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रही है सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारी सेवा शर्तों के एक समुच्चय (सेट ऑफ रूल) से शासित हैं, जो छन सेवा शर्तों से भिन्न हैं जिनसे सरकारी कर्मचारी शासित होते हैं और उनके पद अहस्तान्तरणीय हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित होते हैं।

और चूँकि, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मामले में नियोक्ता, सरकारी शिक्षण संस्थाओं के मामले में नियोक्ता से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं । सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं के मामले में प्रबन्ध समितियों का पृथक तथा स्वतंत्र रूप से वैधानिक अस्तित्व होता है जो अपनी-अपनी संस्थाओं के संबंध में निर्णय लेती हैं । सरकार, उनके घाटे का 75 प्रतिशत की सीमा तक केवल स्वीकृत पदों को सहायता अनुदान जारी करने की, सीमित तथा सुसाध्य भूमिका अदा करती है । सरकार द्वारा निश्चित संख्या के पद के लिए सहायता अनुदान दिये जाने के पीछे एक मात्र उद्देश्य, इन निजी संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्ध तथा उन्हें चलाने में हस्तक्षेप किए बिना हरियाणा राज्य में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना है ।

और चूँकि, सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत है कि सरकार सहायता-प्राप्त निजी संस्थाएँ जो अनुदान प्राप्त करती है, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु पेंशन स्कीम आवश्यक रूप से आरंभ करने के लिए बाध्य नहीं है । तथापि, निजी प्रबन्ध वाली सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सहायता-प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों में सुधार करने की इच्छा से सरकार ने उनके लिए एक विशेष पेंशन स्कीम के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू पेंशन स्कीम से भिन्न है परन्तु इसके साथ ही इसके परिणामस्वरूप उन्हें बेहतर सेवानिवृत्त लाभ भी प्राप्त होंगे । निजी संस्थाएँ जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु पेंशन स्कीम आरंभ करने के कारण, स्पष्ट रूप से असीमित देयता का जिम्मा लेने तथा भारवहन करने की स्थिति में नहीं है । इसलिए सरकार राज्य की इन सभी संस्थाओं, जो अनुदान प्राप्त करती हैं, हेतु विशिष्ट स्कीम आरंभ करने की इच्छुक हैं, जिससे राज्य सरकार पर हानिकारक वित्तीय देयता के बिना ऐसे सभी सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् वस्तुतः बेहतर लाभ मिल सकें । वास्तव में, उस समय जब पेंशन स्कीम के लिए मांग सरकार के पास उठाई गई थी तो तब कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों इत्यादि द्वारा सरकार को बताया गया था कि राज्य सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त देयता के स्वयं वहनीय आधार पर निजी संस्थाएँ जो अनुदान प्राप्त करती हैं, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त

कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पेंशन स्कीम तैयार की जा सकती है। संगठनों का तर्क था कि ऐसी पेंशन स्कीम आरंभ किए जाने के कारण सृजित सभी भावी मांगों को पूरा करने हेतु अंशदायी भविष्य निधि में उपलब्ध नियोक्ता का हिस्सा पूर्ण रूप से पर्याप्त है। सरकार ने इस पहलू की जांच की है तथा सरकार के ध्यान में आया है कि संगठनों का तर्क पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है। हरियाणा की सहायता प्राप्त संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य-निधि (नियोक्ता के हिस्से) के बदले में विशिष्ट पेंशन स्कीम आरंभ करने के कारण वास्तव में सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय देयता हो सकती है। तथापि, सरकार की वित्तीय देयता, यदि कोई इस लेख में है, को कम से कम करने में रुचि ले रही है। सरकार सम्यक् अनुक्रम समय में एक स्कीम भी तैयार कर रही है जिसके द्वारा अंशदायी भविष्य निधि का नियोजक के हिस्से के मध्ये की आय ऐसे रूप में हो जो पात्र कर्मचारियों को सेवा निवृत्त लाभार्थियों के भुगतान करने के लिए पूर्ण रूप से या सम्पूर्ण रूप से अधिकतम हो।

और चूंकि, इस विशेष पेंशन स्कीम के अन्तर्गत परिकल्पित दो मुख्य अन्तर हैं—पेंशन रूपान्तरण तथा अवकाश नकदीकरण के लाभ। संबंधित सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों द्वारा सहमति हो गई है कि उन्हें पेंशन रूपान्तरण तथा अवकाश नकदीकरण इन दो लाभों के रूप में न दिया जाए, यदि ये दोनों लाभ दिए जाते हैं, तो इनसे राज्य सरकार हानिकारक वित्तीय देयता के परिणाम हो सकती है, जो सरकार वहन नहीं कर सकती। इसलिए सरकार, विशेष संकेत के तौर पर, इसके द्वारा हरियाणा सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे सहायता प्राप्त विद्यालयों के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह विशेष पेंशन स्कीम इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उन्हें इस स्कीम के अन्तर्गत पेंशन रूपान्तरण तथा अवकाश नकदीकरण के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। यह स्कीम किसी ऐसी अन्य स्कीम से भिन्न है जो हरियाणा राज्य में अथवा उससे बाहर किसी अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी संगठन में हरियाणा राज्य के भीतर या बाहर विद्यमान हो सकती है। राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत स्कीम के पुनर्विलोकन या रूपान्तरण करने के अधिकार को भी अपने पास रखती है।

इसलिए, अब, हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12), की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (V) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सहायता प्राप्त विद्यालयों के नियुक्त कर्मचारियों की विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### अध्याय I

संक्षिप्त नाम ।

1. ये नियम हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001, कहे जा सकते हैं ।

परिभाषा ।

2. इन नियमों में, जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12);
- (ख) "सहायता प्राप्त स्वीकृत पद" से अभिप्राय है, पद जिसके लिए शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा सहायता अनुदान अनुज्ञात है;
- (ग) "विभाग" से अभिप्राय है, माध्यमिक शिक्षा अथवा प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा जैसी भी स्थिति हो;
- (घ) पेंशन के प्रयोजन के लिए "उपलब्धियां" से अभिप्राय है, मूल वेतन जमा विशेष वेतन तथा निजी वेतन, यदि कोई हो;
- (ङ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (च) "प्रबन्ध" से अभिप्राय है, सहायता प्राप्त विद्यालय के सदस्यों द्वारा गठित तथा निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध समिति;
- (छ) "वेतन" से अभिप्राय है, किसी कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित रूप में मासिक ली गई राशि :—

- (1) विशेष वेतन अथवा उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के लिए दिए गए वेतन से भिन्न वेतन, जो उस द्वारा मूल रूप में अथवा किसी

स्थानापन्न हैसियत में धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है अथवा जिसके लिए वह हकदार है ;

- (11) विशेष वेतन तथा निजी वेतन, यदि कोई हो ;
- (111) कोई अन्य उपसम्बन्धियां जो सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष रूप में वेतन के रूप में बर्तीकृत की जाएं ;
- (ज) "सेवा" से अभिप्राय है, किसी सहायता प्राप्त विद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई सेवा ;
- (झ) इन नियमों में प्रयुक्त, किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12) में दिए गए हैं ।

### अध्याय II

3. (1) किसी नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तथा इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबन्ध प्ररूप-I में एक करार निष्पादित करेगा, जो इन नियमों के उपबन्धों तथा कर्मचारियों द्वारा प्ररूप-II में तीन प्रतियों में दी गई वचनबद्धता तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के पालन करने के प्रबन्ध के किसी प्रस्ताव द्वारा सम्यक् रूप में समर्थित होगा, ये नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो :—

सावधान !

- (क) मई, 1998, के 11वें दिन को अथवा उसके पश्चात् सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त किए गए हैं ;
- (ख) मई, 1998, के 11वें दिन से तुरन्त पूर्व सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे थे तथा उसके बाद ऐसे रूप में लगातार कार्यरत हैं ;

परन्तु कर्मचारी जो, सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त किए गए थे तथा मई, 1998 के 11वें दिन को या बाद में, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अधिकारिता की आयु प्राप्त कर ली है, इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर चाहें वे इन नियमों द्वारा

शासित हैं या नहीं को प्ररूप- III में तीन प्रतियों में विकल्प देने का अधिकार होगा।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

- (i) सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी;
- (ii) सरकार द्वारा स्वीकृत न किए गए पदों के विरुद्ध नियुक्त किए गए कर्मचारी;
- (iii) ऐसे कर्मचारी जो मई, 1998, के 11वें दिन से पूर्व स्वीकृत पदों से सेवा निवृत्त हो गए हैं तथा ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मई, 1998, के 11वें दिन से पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, सिवाए उनके जिनको विभाग द्वारा स्वीकृत पदों पर अधिवर्षिता की आयु के बाद पुनः नियोजित कर दिया गया है;
- (iv) कर्मचारी जो अवकाश अन्तराल व्यवस्था या तदर्थ आधार पर या सविदात्मक आधार पर नियोजित किए गए हैं।

सेवा निवृत्ति  
लाभांश।

4. इन नियमों के अधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्ति लाभांश अनुज्ञेय होंगे,  
अर्थात् :—

(1) पेंशन :—

- (क) अधिवर्षिकी पेंशन;
- (ख) अशक्तता पेंशन;
- (ग) प्रतिपूर्ति पेंशन;
- (घ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पेंशन/अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन;

(2) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान;

(3) सेवा उपदान;

(4) पारिवारिक पेंशन।

अध्याय III

5. (1) इन नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति लाभार्थों के लिए किसी अर्हक सेवा ।  
कर्मचारी की सेवा निम्न प्रकार से अर्हक होगी :—

(1) सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर की गई सेवा ;

(ii) ग्रुप "घ" कर्मचारियों की दशा में, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की गई सेवा, तथा अन्यो की दशा में अठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की गई सेवा । तथापि, अर्हक सेवा कर्मचारी द्वारा अंशदान भविष्य निधि में अंशदान जमा करने की तिथि से हिसाब में ली जाएगी ।

(2) बिना वेतन अवकाश तथा निलम्बन अवधि अवकाश से अधिक अनुपस्थिति जो अधिनियमों के अधीन बाद में नियमित न की गई हो तथा सेवा में खण्डता की अवधि को छोड़कर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन अनुज्ञेय अवकाश ।

(3) उसी प्रबन्ध के अधीन एक अथवा अधिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में की गई सेवा परन्तु स्थानान्तरण, अधिनियम की शर्तों के अनुसार किया गया हो ।

(4) हरियाणा राज्य में, किसी अन्य सहायता प्राप्त विद्यालय में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर की गई सेवा :

परन्तु कर्मचारी सहायता प्राप्त पद पर उचित माध्यम से नियुक्त किया गया है तथा निदेशक से लगातार सेवा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है :

परन्तु यह और कि पूर्व विद्यालय में कर्मचारी का अंशदायी भविष्य निधि लेखा आगामी विद्यालय में जिसमें वह स्थानान्तरित या नियुक्त किया गया है तथा जहां सेवा में कोई खंडता नहीं है, उसी रूप में जारी रहा है ।

अवरोध की  
माफी ।

6. कर्मचारी के सेवा अभिलेख में प्रतिकूल विशेष संकेत न होते हुए, उसी प्रबन्ध के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की अवधि के बीच कोई अवरोध निदेशांक के अनुमोदक से माफ किया जा सकता है; तथा सेवा निवृत्ति लाभार्थों के लिए अर्हक सेवा के रूप में समझा जा सकता है :

परन्तु सेवा से त्यागपत्र, पदच्युति, हटाए जाने द्वारा अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्पन्न अवरोध माफ नहीं किया जायेगा ।

पेंशन के लिए  
हकदारी ।

7. इन नियमों के अधीन कोई कर्मचारी केवल दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद ही पेंशन के लिए हकदार होगा ।

अधिवाषिता  
पेंशन ।

8. (1) इन नियमों के अधीन ग्रुप घ कर्मचारी से निम्न कोई कर्मचारी, उस तिथि से जिसको वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अधिवाषिता पेंशन का हकदार होगा ।

(2) कोई ग्रुप घ कर्मचारी, उस तिथि से जिसको वह सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अधिवाषिता पेंशन का हकदार होगा ।

(3) पेंशन, अन्तिम दस मास के औसत वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी। पूरी पेंशन के लिए स्वीकार्यता तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर होगी। पेंशन की राशि सेवा काल द्वारा अवधारित की जानी है। इस प्रयोजन के लिए अर्हक सेवाकाल पूर्ण उमाही अवधि के रूप में संगणित किया जाएगा तथा तीन मास के बराबर या इस्से अधिक किसी वर्ष का भाग पूर्ण उमाही अवधि के रूप में माना जाएगा ।

यह फार्मूला निम्न प्रकार से होगा :—

10 मास की औसत उपलब्धियां	अर्हक सेवा (पूर्ण छह मासिक अवधि के रूप में संगणित की जाएगी)
पेंशन =	x
2	66

यदि 33 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए इस प्रकार संगणित की गई पेंशन 1,275 रुपए (केवल एक हजार दो सौ पचहत्तर रुपए) से कम होती है, तो उसे सभी मामलों में 1,275 रुपए (केवल एक हजार दो सौ पचहत्तर रुपए) तक बढ़ा दिया जाएगा ।

अशक्तता  
पेंशन ।

9. (1) ऐसे कर्मचारियों को, जो शारीरिक या मानसिक दीर्घत्व के कारण सेवा काल के लिए शारीरिक रूप से अशक्त, घोषित किए जाते हैं, निदेशक के अनुमोदन से अशक्तता पेंशन दी जाएगी ।

(2) अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करने वाला कोई कर्मचारी, किसी चिकित्सा बोर्ड से, जिसमें जब कभी किसी महिला कर्मचारी का निरीक्षण किया जाना हो, एक महिला चिकित्सक भी उसके सदस्य के रूप में शामिल होगी, असमर्थता का एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(3) सेवा के लिए असमर्थता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उसे उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, से प्राप्त कोई पत्र प्रस्तुत न करे । चिकित्सा बोर्ड को, सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदक की आयु के सम्बन्ध में उसकी सेवा पुस्तिका में यथा अभिलिखित एक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) चिकित्सा मामले तथा किए गए उपचार का एक संक्षिप्त विवरण आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(5) एक साधारण प्रमाण-पत्र कि अकुशलता, वृद्धावस्था या बढ़ती आयु से प्राकृतिक रूप से कारण है किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में पर्याप्त नहीं होगा जिसकी अभिलिखित आयु पचपन वर्ष से कम है ।

(6) कर्मचारी, जिसे अशक्त घोषित किया गया है चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किए जाने की तिथि से इयूटी से भ्राम्युक्त कर दिया जाएगा ।

10. यदि कोई कर्मचारी सहायता प्राप्त स्वीकृत पद की समाप्ति के कारण प्रबन्ध द्वारा सेवानुसृत कर दिया जाता है, तो तब तक उसे किसी अन्य पद पर, जिसकी शर्तें कम-से कम उसके अपने पद के समान समझी जाती हैं, नियुक्त नहीं कर दिया जाता, उसके पास निम्नलिखित विकल्प होगा :—

प्रतिपूर्ति पेंशन ।

(क) प्रतिपूर्ति पेंशन अथवा उपदान लेने का जिसके लिए पहले की गई सेवा के लिए वह हकदार है; अथवा

(ख) उसी प्रबन्ध के अधीन कोई अन्य पद स्वीकार करने का, जिसके लिए वह निर्धारित योग्यताएं पूर्ण करता है, यदि नियुक्ति प्रस्ताव किया जाता

है तथा उसके द्वारा पूर्व की सेवा की अवधि के लिए संगणित करने के लिए जारी रखने का ।

स्वेच्छिक सेवा  
निवृत्ति ।

11. (1) सेवा निवृत्ति पेंशन तथा सेवा निवृत्ति उपदान ऐसे कर्मचारी को दिया जाएगा जो उत्तरवर्ती उप-नियम (2) में यथा उपबन्धित अर्हक सेवाकाल के अनुसार स्वेच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होता है या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया जाता है ।

(2) कारण अभिलिखित करते हुए, यदि प्रबन्ध की राय से किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करना लोकहित में है, तो उस सम्बद्ध कर्मचारी को लिखित रूप में एक पूर्व नोटिस देकर जो तीन मास से कम न हो, उस तिथि को जिसको वह अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करता है या उसके बाद किसी अन्य तिथि को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे सेवा निवृत्त करने का अधिकार होगा :

परन्तु जहां तीन मास का नोटिस नहीं दिया गया है या तीन मास से कम अवधि के लिए नोटिस दिया गया है, तो कर्मचारी तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जितनी के लिए ऐसा नोटिस तीन मास से कम पड़ता है, जैसी भी स्थिति हो, वेतन तथा भत्ते की राशि के बराबर की कोई राशि, उसी दर पर जिस पर वह सेवा निवृत्त की तिथि से तुरन्त पूर्व ले रहा था, का दावा करने का हकदार होगा ।

(3) यदि, उप-नियम (2) के अधीन की गई किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा अपस्त कर दी जाती है, तो उसके परिणामस्वरूप सभी धन सम्बन्धी दायित्व अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से उसके पुनः पद ग्रहण की तिथि तक प्रबन्ध को न्यायगत होंगे ।

(4) कोई कर्मचारी, प्रबन्ध को, लिखित रूप में कम-से-कम तीन मास का नोटिस देने के बाद, उस तिथि को, जिसको वह अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे कर लेता है या आयु के पचास वर्ष प्राप्त कर लेता है या उसके बाद नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी तिथि को सेवा निवृत्त हो सकता है :

परन्तु निदेशक के विशेष अनुमोदन के सिवाय, निलम्बनाधीन कोई भी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं होगा ।

(5) इन नियमों के अधीन स्वेच्छक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे किसी कर्मचारी को आनुपातिक पेंशन प्रदान करते हुए, उसके द्वारा वास्तविक रूप से की गई अर्हक सेवा पर अतिरिक्त रूप में पांच वर्ष का अधिमान दिया जाएगा। तथापि, पांच वर्ष तक का अधिमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :—

(क) अधिमान अनुज्ञात करने के बाद कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष की अर्हक सेवा से अधिक नहीं होगी तथा अधिवर्षिता की तिथि से परे नहीं होगी।

(ख) इन नियमों के अधीन दिया गया अधिमान पेंशन तथा उपदान के लिए अर्हक सेवा का केवल परिवर्धन होगा। यह, पेंशन तथा उपदान जो कि सेवा निवृत्ति की तिथि के प्रतिनिर्देश से संगणित वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर होगी, की संवणना के लिए स्वेच्छक रूप से सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी को वेतन के किसी अप्रयोज्यमूलक नियतन के लिए हकदार नहीं बनाएगी।

12. जहां कर्मचारी की अर्हक सेवा दस वर्ष से कम है, वहां सेवा उपदान की रशि समुचित रशि होगी, जैसा कि अनुबन्ध में दर्शाया गया है तथा उसे कोई पेंशन नहीं दी जाएगी।

सेवा उपदान।

13. (1) कोई कर्मचारी जो इन नियमों के अधीन अपनी सेवा निवृत्ति पर पेंशन या उपदान के लिए पात्र हो गया है, को अतिरिक्त मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान नीचे यथा वर्णित अनुसार दिया जाएगा :—

मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान

(1) उपदान की रशि उपलब्धियों के अधिकतम 16½ गुणा तथा ग्रुप च कर्मचारियों की दशा में 17½ गुणा के अधीन रहते हुए, अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए, कर्मचारी की उपलब्धियों का ½ सेवा होगी।

(11) सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उपदान नीचे यथा वर्णित अनुसार दिया जाएगा :—

(क) एक वर्ष से अधिक सेवा—लिए गए अंतिम वेतन का दो दशा

(ख) एक वर्ष से अधिक किन्तु

पांच वर्ष से अनधिक सेवा-लिए गए अंतिम वेतन का  
छह गुणा

(ग) पांच वर्ष से अधिक किन्तु

चौबीस वर्ष से अनधिक—लिए गए अंतिम वेतन का  
बारह गुणा

(घ) चौबीस वर्ष से अधिक सेवा—मृतक द्वारा की गई वास्तविक  
सेवा के आधार पर निर्धारित  
किया जाएगा :

(111) किसी भी दशा में सेवा निवृत्ति उपदान मृत्यु और सेवा  
निवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि 3.50 लाख से अधिक  
नहीं होगी । विद्यमान अनुदेशों के अनुसार उपदान की 75  
प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा 25 प्रतिशत  
राशि प्रबंधकों द्वारा वहन की जाएगी :

परन्तु किसी भी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध न्यायिक अथवा विभागीय  
कार्यवाहियां शुरू की गई हों, ऐसी कार्यवाहियों की विचाराधीनता के दौरान उपदान  
प्रदान नहीं किया जाएगा ।

व्याख्या.—(1) सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पर इस प्रयोजन के लिए  
"उपलब्धियों" में शामिल है, "वेतन + मंहगाई भत्ता" ।

(2) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए "परिवार"  
में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

- (1) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी अथवा पत्नियां, इसमें न्यायिक  
रूप से पृथक् पत्नी अथवा पत्नियां शामिल हैं ;
- (11) महिला कर्मचारी की दशा में पति, इसमें न्यायिक रूप से पृथक्  
पति शामिल है ;
- (111) पुत्र, इसमें सौतेले बालक तथा विधिक रूप से दत्तक बालक शामिल  
हैं ;

- (iv) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां ;
- (v) अठारह वर्ष की आयु से नीचे के भाई तथा अविवाहित तथा विधवा बहिन, इसमें सौतेले भाई तथा बहिन शामिल हैं ;
- (vi) पिता - इसमें वैयक्तिक दशम में दत्तक माता-पिता शामिल हैं  
जिनकी
- (vii) माता - स्वीय विधि दत्तक-ग्रहण की अनुमति देती है ;
- (viii) विवाहित पुत्रियां ; तथा  
पूर्वमृत पुत्रों के बालक ।

1.4. कम से कम एक वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी मृत्यु के मामले में, सहायता प्राप्त विद्यालय के मृतक कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन सभी मामलों में न्यूनतम 1,275 रुपए (केवल एक हजार दो सौ पचहत्तर रुपए) तथा अन्तिम वेतन के अधिकतम 30 प्रतिशत के अधीन रहते हुए, वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर दी जाएगी ।

पारिवारिक  
पेंशन ।

(क) सात वर्ष की सेवा से अधिक सेवा वाले कार्यरत अथवा सेवानिवृत्ति के बाद, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन की राशि सामान्य पारिवारिक पेंशन की राशि के दुगने पर नियत की जाएगी, इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि ऐसी बढ़ाई गई पेंशन, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक नहीं होगी । यह लाभ सात वर्ष की अवधि अथवा जब तक मृतक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता, जो भी पहले हो, के लिए उपलब्ध होगा ।

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की दशा में, बढ़ाई गई दरों पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक भुगतान योग्य होगी जिसको मृतक कर्मचारी पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित रहता, अथवा सात वर्ष की अवधि के लिए, जो भी अवधि कम हो, लेकिन किसी भी दशा में पारिवारिक पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी ।

व्याख्या.—पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन के लिए "परिवार" में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

(1) (क) पत्नी ;

(ख) पति ;

(ग) अवयस्क पुत्र ;

(घ) अविवाहित अवयस्क पुत्रियां तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व विधिक रूप से दत्तक बालक ;

(ङ.) मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि, जो भी पहले हो, तक विधवा/विधुर ;

(च) पुत्र/अविवाहित पुत्रियां जन्म तक की वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता/लेती अथवा जीविका उपार्जन शुरू करने तक, जो भी पहले हो ;

(छ) न्यायिक रूप से पृथक् पत्नी अथवा पति ।

(2) सेवानिवृत्ति के बाद विवाह, पारिवारिक पेंशन प्रयोजन के लिए मान्य होगा ।

टिप्पणी.—"बालक" पद में कर्मचारी की मरणोत्तर संतान शामिल है ।

#### अध्याय IV

अंशदायी भविष्य  
निधि लेख का  
अंशदान तथा  
रख-रखाव ।

15. (1) कर्मचारी मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किसी अन्य दर पर अंशदायी भविष्य निधि के हेतु अंशदान करेगा । तथापि, कोई कर्मचारी सरकार द्वारा विहित से उच्चतर दर पर स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है । निधि, समय-समय पर निदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसारण में विनियमित की जाएगी ।

(2) कर्मचारी का अंशदायी भविष्य निधि का हिस्सा, विद्यमान नीति के अनुसार तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार, संबंधित संस्थाओं के प्रधान द्वारा बनाया रखा जाएगा ;

(3) जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अंशदाता/ आवेदक को अंशदायी भविष्य निधि में से प्रत्यर्पणीय तथा अप्रत्यर्पणीय ऋण/ अग्रदान का अंतिम भुगतान स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

16. (1) नियोजक का हिस्सा उस पर अर्जित ब्याज सहित, निदेशक को अन्तरेत किया जाएगा।

अंशदायी भविष्य  
निधि में नियोजक  
के हिस्से का  
अन्तरण।

(2) अंशदायी भविष्य-निधि में ब्याज सहित वापिस किए जाने के लिए अपेक्षित या वास्तव में वापिस की गई नियोजक के अंशदान की राशि का हिस्सा उचित सत्यापन के अधीन सेवा फंजी में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) मई 1998 के 11 वें दिन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे उन कर्मचारियों से, जो इन नियमों द्वारा शासित किए जाने के लिए विकल्प देते हैं, नियोजक के हिस्से की पूर्ण राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित जमा कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से निकलवाई गई राशि पर उक्त राशि के निकलवाने की तिथि से निदेशक के पास जमा करवाने की तिथि तक संगणित 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज जमा करवाने की अपेक्षा की जाएगी।

कर्मचारी जो इन नियमों के लागू होने पर या उसके बाद सेवा निवृत्त होंगे तथा जो अंशदायी भविष्य निधि में उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित नियोजक का हिस्सा पहले ही ले चुके हैं तथा वे (या ऐसे कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उसके विधिक उत्तराधिकारी), उस राशि को नकद वापिस करने की स्थिति में नहीं हैं, उपदान की राशि अथवा पेंशन के बकाया, जो उन्हें अनुभेय हो सकते हैं, के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी की अंशदायी भविष्य निधि का हिस्सा तथा उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित वास्तव में ली गई राशि का बारह प्रतिशत ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा जो उक्त राशि के निकलवाने की तिथि से लौटाने का समायोजन की तिथि तक संगणित किया जाएगा तथा यदि कोई देय राशि अभी भी बाकी रहती है, तो यह पेंशन का भुगतान किए बिना तब तक समायोजित की जाएगी जब तक कुल राशि की कसौली समायोजित नहीं हो जाती।

(4) नियोजक के हिस्से की राशि, उस पर ब्याज सहित, निकलवाने तथा लौटाने की तिथि सेवा पंजी में अभिलिखित की जाएगी तथा प्रविष्टि सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के बाद अभिप्रमाणित की जाएगी। सम्बद्ध कर्मचारी या उनके उत्तराधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, इस आशय का लिखित रूप में वचन देगा कि उसे ऐसी वसूली का समायोजन से कोई आपत्ति नहीं है।

#### अध्याय V

नियोक्ता का  
हिस्सा जमा  
करवाना तथा  
लेखा शीर्ष।

17. (1) शीर्ष "0071 -- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के लिए अंशदान तथा कसूली-01-सिविल-101-अंशदान तथा अनुदान-निजि प्रबंधन मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालयों" के अधीन नियोजक का हिस्सा जमा किया जाएगा। --[193] Contribution from Private Schools towards Pension."

(2) उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ता भाग में निम्नलिखित समाविष्ट होंगी :—

- (क) इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व अंशदायी भविष्य-निधि लेखों में पड़ी हुई सहायता अनुदान के रूप में दिए गए सरकार के हिस्से सहित नियोजक के हिस्से की राशि;
- (ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उसके बाद, अंशदायी भविष्य-निधि में अंशदान किए गए नियोजक के हिस्से की पच्चीस प्रतिशत राशि;
- (ग) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उसके पूर्व सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान की जा रही अंशदायी भविष्य निधि में सरकार के हिस्से की पचहत्तर प्रतिशत राशि;
- (घ) उपरोक्त विनिर्दिष्ट राशियों पर प्रोदभूत ब्याज की राशि;
- (ङ) कोई अन्य राशि जो विशेषतया नियोक्ता के हिस्से में सरकार द्वारा भुगतान की जाए।

(3) राज्य सरकार इन नियमों के अधीन अनुश्रेय सेवनिवृत्ति लाभार्थी के भुगतान के लिए, "2202-सामान्य शिक्ष -02-सेकेण्डरी शिक्षा-110-गैर सरकारी सेकेण्डरी विद्यालयों को सहायता-VIII-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" तथा "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्राथमिक शिक्षा-102-गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" पेंशन शीर्ष के अधीन वार्षिक बजट में समुचित उपबन्ध करेगी।

(4) सरकार द्वारा भुगतान अंशदायी भविष्य निधि में पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा, भविष्य में भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5) प्रबन्धक द्वारा भुगतान योग्य अंशदायी भविष्य-निधि में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत का पचवीस प्रतिशत उसे सुसंगत शीर्ष में जमा करने के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को स्वीकृत सहायता अनुदान में से भी कटौती की जाएगी ताकि प्रबन्धक से कसूली के लिए कोई राशि बकाया न रहे।

(6) (क) प्रबन्धक प्रत्येक मास जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को मांग ड्राफ्ट पेश करते हुए आवश्यक विशिष्टियां दर्शाते हुए अर्थात् कर्मचारी का नाम, पदनाम, प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में अंशदान की राशि के तथा कुल जोड़ के ब्यौरे (तीन प्रतियां) संलग्न करेगा।

(ख) सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकार मांग ड्राफ्ट प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लेखे के सुसंगत शीर्ष में जमा करवाएगा।

(ग) जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी खाजाना वाउचर संख्या तथा चालान तिथि उपदर्शित करेगा तथा लेखा विवरण अनुरक्षित करने के लिए प्रबन्धक को फोटोप्रति अर्पित करेगा तथा निदेशक को समेकित लेखा प्रस्तुत करेगा।

(7) प्रबन्धक द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में व्यातिक्रम या कार्यान्वयन न करने की दशा में, निदेशक को सहायता अनुदान की राशि में से प्रबन्धक को देय फाई गई ऐसी किसी राशि का कटौती का अधिकार होगा तथा

सम्बद्ध सहायता प्राप्त विद्यालय को सहायता अनुदान निलम्बित कर सकता और सरकार के पूर्व अनुमोदन से सहायता अनुदान सूची में से ऐसे विद्यालय का नाम भी हटा सकता है ।

(8) (क) निदेशक के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए सृजित की गयी पेंशन शाखा (सहायता प्राप्त विद्यालय), जो संग्रहण की राशि जिलावार दर्शाते हुए एक बही खोला बनाएगी । सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान का कार्य करने वाली निदेशक के कार्यालय की शाखा, कर्मचारी की अंशदायी भविष्य निधि के संग्रहण से सम्बन्धित ब्यौरे दर्शाते हुए, जिलावार तिमाही विवरण निदेशक के कार्यालय की शाखा (सहायता प्राप्त विद्यालय), सरकार की निम्नलिखित प्रारूप में भेजेगी : --

क्रम सं.	सहायता प्राप्त विद्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या	अंशदायी भविष्य निधि में प्रबन्धक के हिस्से की 25 प्रतिशत राशि	कुल राशि	विशेष कथन
----------	--------------------------------	-----------------------	---	----------	-----------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विवरणों से जिलावार खोला लेखा चढ़ाया जाएगा और जमा की प्रविष्टियों का मिलान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा के कार्यालय में किया जाएगा ताकि निधि के लेखे में कोई असंगति उत्पन्न न हो ।

(9) अंशदायी भविष्य निधि की राशि जो रजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि को प्रबन्धक की ओर देय थी तथा जमा नहीं करवाई गई है, प्रबन्धक द्वारा अंशदायी भविष्य निधि को लागू ब्याज की दरों पर ब्याज सहित जमा करवाई जाएगी ।

(10) इन नियमों के अधीन भुक्तान निदेशक द्वारा स्वीकृति के पश्चात् निदेशक/प्रबन्धक द्वारा पेंशन भुक्तान आदेश प्रधिकार-पत्र के आधार पर किया जाएगा ।

(11) प्रबंध, निदेशक द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र के आधार पर सेवानिवृत्ति को उपदान की कुल राशि का भुगतान करेगा, तथा उक्त राशि के 75 प्रतिशत का दावा करेगा। इन नियमों के अधीन अनुशेष अन्य लाभ निदेशक द्वारा उसकी स्वीकृति के बाद जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कर्मचारी को प्रबंधक द्वारा भुगतान किए जाएंगे तथा इस प्रकार दी गई स्वीकृति की एक प्रति महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), सम्बद्ध कर्मचारी, मृतक कर्मचारी के परिवारिक सदस्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को तदनुसार भुगतान करने के लिए सूचित की जाएगी।

(12) इन नियमों के अधीन लाभार्थों के लिए सभी भुगतान "2202-सामान्य शिक्षा-02-सेकेण्डरी शिक्षा-110-नैर-सरकारी सेकेण्डरी विद्यालयों को सहायता-VIII-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" तथा "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्राथमिक शिक्षा-102-नैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" छर्च शीर्ष के अधीन किए जाएंगे। विभाग पश्चात्तवर्ती मास के प्रत्येक मास में अग्रिम पेंशन/परिवारिक पेंशन की अपेक्षित राशि निकलवाएगा ताकि पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी/परिवारिक पेंशनभोगी को देय तिथि को पहुंच सके। विभाग प्रबंधक के माध्यम से भुगतान करे। वितरण संबंधी विस्तृत प्रक्रिया सरकार द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

(13) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, के कार्यालय में वास्तविक रूप में विकसित की गई तथा मिलाई गई "2202-सामान्य शिक्षा-02-सेकेण्डरी शिक्षा-110-नैर-सरकारी सेकेण्डरी विद्यालयों को सहायता-VIII-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" तथा "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्राथमिक शिक्षा-102-नैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" शीर्ष के अधीन किए गए भुगतान की गई राशि विकसित की जाएगी।

(14) निदेशक के कार्यालय की पेंशन श्रृंखला (सहायता प्राप्त विद्यालय) ऐसे कर्मचारियों के, जिनके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किए

ए हें, के पूरे व्यरि दशति हुए, जिलावार पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर रखेगी तथा पेंशन तथा प्परिवारिक पेंशन के भुगतान के लेखे रखेगी ।

(15) स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एक कमेटी होगी, जिसमें सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों का प्रतिनिधि जो ऐसे विद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, सम्मिलित होंगे । सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, कमेटी का अध्यक्ष होगा तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, कमेटी का पदेन सचिव होगा । इस प्रकार बैठक की गई कमेटी की स्कीम की अवस्था पुनरीक्षण करने तथा नियमों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक होगी तथा इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित बजट व्यवस्था के लिए भी सरकार को सिफारिश करेगी ।

(16) निदेशक, स्कीम का प्रशासन नियन्त्रण तथा संचालन प्रशासित करेगा ।

(17) महालेखाकार (संपरीक्षा), हरियाणा, स्कीम के व्यक्तिकत लेखों की संपरीक्षा करेगा ।

#### अध्याय VI

देय का  
समायोजन ।

18. (1) प्रबन्धक या जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, ऐसी तिथि से एक वर्ष पूर्व जिसको उसे अधिवाधित पर सेवा-निवृत्त होना है, कर्मचारी के नाम बकाया देय राशियों का निर्धारण करने के लिए कदम उठाएगा ।

(2) यथा निर्धारित देय राशियां, जिनमें वे देय राशियां शामिल हैं जो बाद में ध्यान में आती हैं तथा जो कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति पर उसको भुगतान योग्य मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति की राशि से समायोजित कर ली जाएगी ।

(3) जब कोई कर्मचारी सेवा-निवृत्त होता है, तो प्रबन्ध द्वारा इस आशय का एक कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा तथा उसकी प्रतियां निदेशक तथा

सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को पृष्ठकित की जाएगी।

(4) इन नियमों के अधीन उपलब्ध लाभार्थों के लिए कोई कर्मचारी तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसकी अंशदायी भविष्य निधि के नियोजक के हिस्सों में उस पर अर्जित ब्याज सहित लेखे सम्बद्ध शीर्ष में अन्तरित नहीं कर दिए जाते।

19. सेवा-निवृत्ति पर या उसके बाद, यदि पेंशन भोगी को किसी मंत्रीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है अथवा घोर कदाचार का दोषी है या सरकार द्वारा की गई किसी जांच में या सिद्ध हो जाता है तो निदेशक को पेंशन अथवा उसके किसी भाम को रोकने अथवा वापस लेने का अधिकार होगा।

पेंशन को रोकने की शक्ति।

20. यदि कर्मचारी के पेंशन दस्तावेज अर्पणित करने में देरी के बारे में कर्मचारी तथा प्रबन्धक के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो मामला निर्णय के लिए निदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा। जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा पक्षकारों पर बाध्य होगा।

व्यवस्था।

21. इन नियमों के अधीन लाभार्थों के लिए खर्च के मद्दे प्रभार, "2202-सामान्य शिक्षा-02-सेकेण्डरी शिक्षा -110-गैर-सरकारी सेकेण्डरी विद्यालयों को सहायता-VIII-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" तथा "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-102-गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सहायता-राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालयों) के कर्मचारियों को पेंशन" शीर्ष के अधीन विकलित किए जाएंगे।

खर्च का विकलन करने के लिए लेखा शीर्ष।

22. यदि, इन नियमों की व्याख्या के निर्वचन में यदि कोई प्रश्न अथवा संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका निर्णय सरकार करेगी।

निर्वचन।

23. सरकार को बिना कारण बताए किसी भी समय इस स्कीम का पुनर्विलोकन/उपान्तरण/वापिस लेने का अधिकार होगा।

स्कीम का पुनर्विलोकन।

निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

24. हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची  
(केबिए नियम 12)

अर्हक सेवा की पूर्ण छमाही अवधियां सेवा उपादान का पैमाना

1	2	
1.	1/2	मास की उपलब्धियां
2.	1	मास की उपलब्धियां
3.	1-1/2	मास की उपलब्धियां
4.	2	मास की उपलब्धियां
5.	2-1/2	मास की उपलब्धियां
6.	3	मास की उपलब्धियां
7.	3-1/2	मास की उपलब्धियां
8.	4	मास की उपलब्धियां
9.	4-1/2	मास की उपलब्धियां
10.	4-3/8	मास की उपलब्धियां
11.	5-1/8	मास की उपलब्धियां
12.	5-1/2	मास की उपलब्धियां
13.	5-7/8	मास की उपलब्धियां
14.	6-1/4	मास की उपलब्धियां
15.	6-5/8	मास की उपलब्धियां
16.	7	मास की उपलब्धियां
17.	7-3/8	मास की उपलब्धियां
18.	7-3/4	मास की उपलब्धियां
19.	8-1/9	मास की उपलब्धियां

प्ररूप- I

[ देखिए नियम 3(1) ]

कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभांशों के कार्यान्वयन के लिए प्रबन्ध द्वारा निष्पादन किए जाने वाला करार)

यह करार \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को, एक पक्ष को प्रबन्ध (जिसे, इसमें इसके बाद "प्रबन्ध" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसका उत्तराधिकारी तथा समानुदेशिती शामिल होंगे), तथा दूसरे पक्ष को \_\_\_\_\_

के माध्यम से कार्यरत हरियाणा के राज्यपाल (जिन्हें, इसमें, इसके बाद "सरकार" निर्दिष्ट किया गया है), जिस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उसके उत्तराधिकारी तथा समानुदेशिती शामिल होंगे, के बीच किया गया ।

चूंकि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सम्बद्ध सहायता-प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि के बदले में सेवा निवृत्ति लाभांश देने का निर्णय सरकार ने इस शर्त के अधीन रहते हुए लिया है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबन्ध, हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001, के उपबन्धों तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने लिए एक करार निष्पादित करेगी ;

और, चूंकि प्रबन्ध \_\_\_\_\_ ने प्रस्ताव संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा

अंशदायी भविष्य निधि के बदले में सेवा निवृत्ति लाभांशों को देने के लिए शर्तों को पूरा करने में, हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001, के उपबन्धों तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो गई है;

और, चूंकि, अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित विद्यमान कर्मचारी, अब, हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001, द्वारा शासित किए जाने हैं, अंशदायी भविष्य निधि का प्रबन्धक का हिस्सा

तथा सरकार का हिस्सा अंशदायी भविष्य निधि को उनको स्वीकार करने की तिथि से ऐसे नियमों के लागू होने की तिथि तक उस पर अर्जित ब्याज सहित निदेशक को अन्तरित किया जाना है ;

और चूंकि प्रबन्धक, हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 के अधीन सुसंगत लेखा शीर्ष में कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के रूप में वेतन का इस रूप में अपना हिस्सा जो निदेशक द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए, अंशदान करते रहने के लिए सहमत हो गई है तथा यह अंशदान निदेशक को अन्तरित किया जाएगा ;

इसलिए अब, उक्त करार के अनुसरण में, प्रबन्ध, इसके द्वारा, सहमत हो गई है कि वह करार में लगाई गई सभी शर्तों का समयक रूप से, ईमानदारी से तथा सत्यनिष्ठा से अनुपालन करेगी । उक्त शर्तों पर, कार्य करने में प्रबन्धक के असफल रहने की दशा में, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो, प्रबन्ध के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगा, जो हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001, के ढांचे में उचित प्रतीत हो ।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस विलेख पर क्रमशः उनके हस्ताक्षरों के सामने वर्णित तिथि को हस्ताक्षर किए हैं :—

हस्ताक्षर _____	हस्ताक्षर _____
नाम _____	नाम _____
दिनांक _____	दिनांक _____

(जिला शिक्षा अधिकारी)

(जिला शिक्षा अधिकारी)

राज्यपाल हरियाणा के लिए तथा उसकी ओर से प्रबन्धक के लिए तथा उसकी ओर से

साक्षी :

साक्षी :

1. हस्ताक्षर _____	1. हस्ताक्षर _____
नाम _____	नाम _____
दिनांक _____	दिनांक _____

252 HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) MARCH 29, 2001  
(CHTR 8, 1923 SAKA)

पदनाम _____	पदनाम _____
पता _____	पता _____
_____	_____

साक्षी :

साक्षी :

2. हस्ताक्षर _____	2. हस्ताक्षर _____
नाम _____	नाम _____
दिनांक _____	दिनांक _____
पदनाम _____	पदनाम _____
पता _____	पता _____
_____	_____

प्रकृष-11

(वेधिए नियम 3(1))

वचनपद्धत

(तीन प्रतियों में)

हरियाणा सरकार यादी क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को पढ़कर तथा मेरे मामले में क्या लागू इन नियमों को पूर्ण रूप से समझकर :-

- (क) मैं, ऊपर निर्दिष्ट तथा इस सम्बन्ध में सबब-समय पर एक संशोधित तथा जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करने का वचन देता हूँ ।
- (ख) मैं, मेरे तथा मिश्रणक के हिस्से के बढ़ते निदेशक द्वारा निर्वाणी गई राशि को वापस करने का वचन देता हूँ ।

अधीनकारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

साथी:

1. हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_  
पूरा नाम \_\_\_\_\_  
(बड़े अक्षरों में)  
पदनाम \_\_\_\_\_

पूरा नाम \_\_\_\_\_  
(बड़े अक्षरों में)

2. हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_  
(प्रधानाचार्य/मुख्यप्रमाणक)  
कार्यालय \_\_\_\_\_

निसा निगा अधीनकारी/विलत प्राथमिक निगा अधीनकारी।

प्रत्य-III

[ अधिसूचना नियम 3(1)(ख) (II) ]

विकल्प

(तीन प्रतियाँ में)

- हरियाणा सरकार गादी क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को भेदकर तथा मेरे मामले में यथा लायू इन नियमों को पूर्ण रूप से सम्मत्कर :—
- (क) में, ऊपर निर्दिष्ट तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर तथा संशोधित ज्ञान जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करने का वचन देता हूँ।
- (ख) में, हरियाणा सहायता प्रान्त विद्यालय (विशेष बेंचन तथा अंशवर्षीय भविष्य निधि) नियम, 2001 के अन्तर्गत लाभों के लिए विकल्प देता हूँ ;
- (ग) में, मेरे तथा नियोजक के हिस्से के मद्दे निदेशक द्वारा निकाली गई राशि को सादा करने का वचन देता हूँ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

साक्षी:

दिनांक \_\_\_\_\_

1. हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_  
पूरा नाम \_\_\_\_\_  
(बड़े अक्षरों में)  
पदनाम \_\_\_\_\_

पूरा नाम \_\_\_\_\_  
(बड़े अक्षरों में)  
पदनाम \_\_\_\_\_

2. हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_  
(प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक)  
विद्यालय \_\_\_\_\_

जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी।

पी. के. चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव,  
हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT  
EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2001

No.S.O.38/H.A.12/1999/Ss.8 and 24/2001.--Whereas the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act, 1971 (Act 10 of 1971) and the Haryana Aided Schools (Security of Service) Rules, 1974 framed under the Act envisage a contributory provident fund to which both the employer and the employees of the privately managed Government aided educational institutions are required to contribute in the prescribed ratio. The employees appointed against aided sanctioned posts of the aided schools on their superannuation are eligible under rules 35 and 42 of the said rules, for payment of amount so deposited in the contributory provident fund along with the interest earned thereon besides the gratuity at the rate as fixed by the Government, from time to time;

And whereas the employees appointed against aided sanctioned posts of privately managed Government aided educational institutions have been representing to the Government for introduction of a pension scheme for them so that they could get improved retiral benefits;

And whereas the Government has been sympathetic to the aspirations of the employees appointed against aided sanctioned posts of the aided institution while being conscious of the fact that there cannot be parity between employees of Government educational institutions and the employees appointed against aided sanctioned posts of the aided institutions of the State. Employees appointed against aided sanctioned posts of the aided private institutions are governed by a set of service conditions which are distinct from those governing the Government employees. Their posts are non-transferable whereas the Government employees on the other hand are subject to transfer throughout the State;

And whereas the employer in the case of aided educational institutions is distinctly different from the employer in the case of Government, educational institutions. In case of the former, the managements are separate, independent legal entities, taking independent decisions in respect of their respective institutions. The Government plays only limited and yet facilitating role by releasing them grant-in-aid to the extent of 75% of the deficit against sanctioned posts only. The sole objective behind the grant-in-aid by the Government for a limited number of posts is to promote expansion of education in the State of Haryana without interfering with day-to-day management and running of these private institutions;

And whereas the Government is not oblivious to the fact that there is no obligation placed on the Government to necessarily introduce a pension scheme for the employees appointed against aided sanctioned posts of aided institutions, receiving grant-in-aid. However, driven by a desire to improve the existing service conditions of the employees appointed against aided sanctioned posts working in the aided educational institutions, the Government has decided to provide additional grant-in-aid for the purpose of a special pension scheme for them which is different from the one applicable to Government employees but which at the same time results in improved retiral benefits to them. The Government is clearly not in a position to take on and sustain unlimited financial liability on account of introduction of a pension scheme for the employees appointed against aided sanctioned posts of the aided institutions receiving grant-in-aid. It is, therefore, desirous of assisting and supporting a scheme specific to the employees appointed against aided sanctioned posts of these from all institutions, which would enable such employees to enjoy substantially improved benefits after retirement without causing a staggering financial liability on the part of the State Government. In fact at the time when the demand for a pension scheme was made to the Government the Government was given to understand by the representative bodies of the employees etc. that a pension scheme specific to the employees appointed against aided sanctioned posts of the aided institutions

receiving grant-in-aid could be framed on a self-sustainable/self-financing basis without any additional liability on the part of the State Government. The associations had contended that the employers share available in the contributory provident fund is quite sufficient to meet all future demands created through the introduction of such a pension scheme. The Government has examined this aspect and is aware that the contention of the association may not be fully tenable. The introduction of a special scheme of pension for the employees appointed against aided sanctioned posts of the aided educational institutions of Haryana in lieu of the contributory provident fund (employer's share) might actually entail additional financial liability on the part of the Government. However, the Government is keen to keep the financial liabilities, if any, on this account to the minimum. The Government is also keen to evolve, in due course of time, a scheme whereby the returns on account of employer's share of contributory provident fund are maximum in such a way as to wholly and completely pay for the retirement benefits to the eligible employees;

And whereas the two major distinctions envisaged under this special pension scheme pertain to the benefit of commutation of pension and leave encashment. It has been agreed by the different representative bodies of the employees concerned that the benefit of commutation of pension and leave encashment may not be made available to them as these two benefits, if granted could result in a staggering financial liability on the part of the State Government which it can ill afford. The Government, therefore, hereby as a special gesture, frames this special pension scheme for the employees appointed against aided sanctioned posts of aided schools receiving grant-in-aid from the Government of Haryana subject to the condition that the benefits of commutation of pension and leave encashment shall not be available under this scheme. This scheme is distinct from any other scheme which may be in existence in any other Government/Semi-Government organization within or outside the State of Haryana. The Government also reserve the right to review or modify the scheme depending on the state of finance of the Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of Section 24 and clause (a) of sub-section (1) of Section 8 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the special pension and contributory provident fund of the employees appointed to the aided school, namely :--

#### CHAPTER--I

1. These rules may be called the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

- (a) "Act" means the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999);
- (b) "aided sanctioned post" means the post for which grant-in-aid is allowed by the Education Department Haryana;
- (c) "Department" means the Department of Secondary Education or Primary Education, Haryana, as the case may be;
- (d) "emoluments" for the purpose of pension mean basic pay+special pay and personal pay, if any;
- (e) "Form" means form appended to these rules;
- (f) "Management" means the managing committee constituted by the members of the aided school and approved by the Director;
- (g) "pay" means the amount drawn monthly by an employee as :--

- (i) pay other than special pay or pay granted in lieu of his personal qualification, which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity or to which he is entitled.

- 
- (ii) special pay and personal pay, if any;
  - (iii) any other emoluments which may specially be classified as pay by the Government from time to time;
  - (h) "Service" means the service rendered in an aided school against sanctioned post;
  - (i) the words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999).

#### CHAPTER--II

3(1) Except as otherwise provided in any rule and subject to the condition that the Management of an aided school executes an agreement in Form I, duly supported by a resolution of the Management to abide by the provisions of these rules and undertaking of the employee in triplicate in Form II and instructions issued by the Government from time to time, these rules shall apply to all the employees who.-- Application.

- (a) are appointed to the aided sanctioned post on or after the 11th day of May, 1998;
- (b) were working on the aided sanctioned posts immediately before 11th day of May, 1998 and continue to work as such thereafter:

Provided that the employees who were appointed to the aided sanctioned posts and have attained the age of superannuation on or after the 11th day of May, 1998 to the date of publication of these rules shall have the right to exercise option in triplicate in Form III as to whether to be governed by these rules or not within a period of three months from the date of publication of these rules in Official Gazette.

(2) These rules shall not apply to :--

- (i) the employees appointed on part-time basis against aided sanctioned posts;

- (ii) the employees appointed against the posts not sanctioned by the Government;
- (iii) the employees who retired from the sanctioned posts before the 11th day of May, 1998 and the employee who attained the age of superannuation before the said date except those who have been re-employed by the Department after the age of superannuation on sanctioned posts; and
- (iv) the employees employed on a leave-gap arrangement or on *ad hoc* basis or on contractual basis.

Retirement  
benefits.

4. The following retirement benefits shall be admissible under these rules, namely :—

- (1) Pension —
  - (a) Superannuation Pension;
  - (b) Invalid Pension;
  - (c) Compensation Pension;
  - (d) Voluntary Retirement Pension/Compulsory Retirement Pension;
- (2) Death-Cum-Retirement-Gratuity;
- (3) Service-Gratuity;
- (4) Family-Pension.

#### CHAPTER--III

Qualifying  
service.

5. (1) The Service of an employee shall qualify for retirement benefits under these rules, as under :—

- (i) The service rendered on attaining the age of 18 years on aided sanctioned post;
- (ii) The service rendered till the attainment of the age of sixty years in the case of Group-D employee, and in case of others, service rendered till the attainment of the age of fifty-eight years. However, the qualifying service will be taken into

account with effect from the date an employee subscribes contribution towards contributory provident fund;

(2) The leave admissible under the rules to be framed under the Act and under the instructions issued by the Government from time to time, excluding leave without pay and period of suspension overstayal of leave not subsequently regularised under the Act and period of break in service.

(3) Service rendered in one or more aided schools under the same Management provided the transfer is made in terms of the Act.

(4) The service rendered on aided sanctioned post in another aided school in the State of Haryana:

Provided that the official has been appointed through proper channel on aided sanctioned post and the approval of continuity of service has been obtained from the Director :

Provided further that the contributory provident fund account of the employee in the previous school continued as such in the subsequent school to which he is transferred or appointed and there is no break in service.

6. In the absence of specific indication to the contrary in the service record of the employee, an interruption between spell of services rendered by an employee under the same Management may be condoned with the approval of Director, and be treated as qualifying service for retirement benefits:

Condition of interruptions.

Provided that the interruption caused by the resignation, dismissal, removal from service or due to participation in strike, shall not be condoned.

7. An employee shall be entitled for pension under these rules only after he completes ten years qualifying service.

Entitlement for pension.

8(1) An employee other than Group 'D' employee under these rules, will be entitled to the

Superannuation pension.

superannuation pension from the date he attains the age of fifty eight years.

(2) A Group D employee shall be entitled to the superannuation pension from the date he attains the age of sixty years.

(3) Pension shall be calculated at the rate of fifty per cent of the average pay of the last ten months. The admisibility of full-pension shall be on completion of thirty-three years qualifying service. The amount of pension is to be determined by length of service. The length of qualifying service for this purpose shall be calculated in terms of completed six monthly period and fraction of a year equal to three months or more shall be treated as a completed six monthly period.

The formula will be as under :—

$$\text{Pension} = \frac{\text{10 months average emoluments}}{2} \times \frac{\text{qualifying service (counted in terms of completed six monthly period)}}{66}$$

If the pension so caculated for the qualifying service of thirty three years falls of Rs. 1,275 (one thousand two hundered seventy-five rupees only) the same shall be raised to Rs. 1,275 (one thousand two hundered seventy-five rupees only) in all cases.

Invalid pension.

9(1) Employees who are declared physically invalid for service because of bodily and mental infirmity shall be granted invalid pensnion with the approval of Director.

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit, a medical certificate of incapacity from a Medical Board in which a Lady Doctor shall also be included as member thereof whenever any woman employee is to be examined.

(3) No medical certificate of incapacity for service shall be granted unless the applicant produces a letter from the District Education Officer/

District Primary Education Officer concerned, directing him to appear before Medical Board. The Medical Board shall also be supplied a statement by the District Education Officer concerned regarding the age of the applicant as recorded in his service book.

(4) A brief statement of the medical case and that of the treatment undergone shall be appended to the application.

(5) A simple certificate that inefficiency is due to old age ~~of~~ natural decay from advancing age, shall not be sufficient in the case of an employee whose recorded age is less than fifty-five years.

(6) The employee who has been declared invalid shall be relieved from duty from the date of such declaration by the Medical Board.

10. In an employee is discharged by the Management owing to the abolition of a aided sanctioned post, he will, unless he is appointed to another post, the conditions of which are deemed to be at least equal to those of his own, have the option :—

Compensation Pension.

- (a) of taking compensation pension or gratuity to which he may be entitled for the service he has already rendered; or
- (b) of accepting another post under the same Management for which he fulfils the prescribed qualifications, if offered and to continue to count his previous service for pension.

11.(1) A retiring pension and retirement gratuity shall be granted to an employee, who retire voluntarily or is retired compulsorily according to the length of qualifying service as provided in the succeeding sub rule (2).

Voluntary retirement.

(2) If Management is of the opinion that it is in public interest to retire an employee for the reasons to be recorded in writing, it shall have the

right by giving the employee concerned, a prior notice, in writing, of not less than three months, to retire him on the date on which he completes 20 years of qualifying service or on any other date thereafter to be specified in the notice :

Provided that where three months notice is not given or notice for a period less than three months is given, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of pay and allowances at the same rate at which he was drawing immediately before the date of retirement, for a period of three months or for the period by which such notice falls short of three months, as the case may be.

(3) If the retirement of the employee made under sub-rule (2) is set aside by a court of law, all pecuniary liabilities consequent thereto from the date of compulsory retirement up to the date of his rejoining the post, shall devolve on the Management.

(4) An employee may, after giving at least three months notice in writing to the Management, retire from service on the date on which he completes twenty years of qualifying service or attains fifty years of age or on any date thereafter to be specified in the notice:

Provided that no employee under suspension shall retire from service except with specific approval of the Director.

(5) While granting proportionate pension to an employee retiring voluntarily under these rules weightage up to five years would be given as an addition to the qualifying service actually rendered by him. The grant of weightage of up to five years will, however, be subject to the following conditions :--

- (a) The total qualifying service after allowing the weightage shall not in any event exceed thirty-three years qualifying service and does not go beyond the date of superannuation.

- (b) The weightage given under these rules will be only an addition to the qualifying service for pension and gratuity. It will not entitle the employee retiring voluntarily to any notional fixation of pay for the purpose of calculating the pension and gratuity which will be based on the actual emoluments calculated with reference to the date of retirement.

12. Where the qualifying service of the employee is less than ten years, the amount of service gratuity shall be the appropriate amount as set out in Annexure and no pension shall be granted to him.

Service  
gratuity.

13.(1) An employee who has become eligible for pension or gratuity under these rules on his retirement from service shall be granted additional death-cum-retirement gratuity as detailed below :—

Death-Cum-  
Retirement  
Gratuity.

- (i) The amount of gratuity shall be the 1/4th of the emoluments of the employee for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16½ times of emoluments and 17½ times of emoluments in the case of group 'D' employee.
- (ii) In the event of death of an employee while in service the gratuity shall be paid as detailed below :—
- |  |  |
|--|--|
| (a) Not exceeding one year service                         | two times the last pay drawn   |
| (b) Exceeding one year but not exceeding five year service | six times of the basic pay drawn   |
| (c) Exceeding five years but not exceeding 24 years        | twelve times of the basic pay drawn  |
| (d) exceeding 24 years service                             | shall be determined on the basis of actual service rendered by the deceased. |

- (iii) The maximum amount of retirement gratuity death-cum-retirement gratuity shall not exceed Rs. 3.50 Lakhs in any case. Seventy-five per cent amount of gratuity is to be borne by Government and twenty-five per cent by the Management as per existing instructions:

Provided that an employee against whom judicial or departmental proceedings have been initiated shall not be granted gratuity during the pendency of such proceedings.

Explanation.

(1) The term "Emoluments" for this purpose include "Pay+Dearness Allowance" at the time of retirement/Death.

(2) For the purpose of death-cum-retirement gratuity "Family" shall include the following members :—

- (i) wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of male employee;
- (ii) husband including judicially separated husband in the case of female employee;
- (iii) sons including step-children and legally adopted children;
- (iv) unmarried and widowed daughters;
- (v) brother below the age of eighteen years and unmarried and widowed sisters, including step-brother and sisters ;
- (vi) father } including adopted parents in case  
                  } of individual whose personal law
- (vii) mother } permits adoption;
- (viii) married daughters; and
- (ix) children of predeceased sons.

Family pension.

14.(1) In case of death of the employee or pensioner with at least one year service the family pension shall be granted to the family of the deceased employee of the aided school @ 30% of the

pay in all cases, subject to minimum of Rs. 1,275 and maximum of 30% of last pay.

- (a) In case of death of an employee while in service having more than seven years service or after retirement before attaining the age of sixty-five years, the amount of family pension would be fixed at double the amount of normal family pension subject to the condition that such enhanced family pension does not exceed fifty per cent of pay drawn at the time of death or normal pension, as the case may be. This benefit will be available for a period of seven years or till the deceased could have attained the age of sixty-five years, whichever is earlier.
- (b) In the event of death after retirement, the family pension at the enhanced rates shall be payable up to the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty-five years, had he survived, or for a period of seven years whichever period is less, but in no case the amount of family pension shall exceed the pension sanctioned to the employee at the time of retirement.

**Explanation.--**For the purpose of family pension "Family" shall include the following members :--

- (1).(a) wife;
- (b) husband;
- (c) minor sons;
- (d) unmarried minor daughter and legally adopted child before the date of retirement;
- (e) widow/widows up to the date of death or re-marriage whichever is earlier;
- (f) sons/unmarried daughters until he/she attains the age of 25 years or starts earning livelihood whichever earlier;
- (g) a judicially separated wife or husband

(2) Marriage after retirement is recognised for the purpose of family pension.

Note .—The term "child" includes posthumous child of the employee.

#### Chapter IV

Subscriptions and maintenance of contributory provident fund accounts.

15(1) The employees shall contribute towards the contributory provident fund @ 10% of basic pay or any other rate prescribed by the Government from time to time. An employee may, however, subscribe voluntarily at higher rate than that prescribed by the Government. The fund shall be regulated in accordance with the procedure as may be specified by the Director from time to time.

(2) The employees share of contributory provident fund contribution shall be maintained by the concerned Head of the Institution as per existing policy and as per instructions issued by the Department from time to time.

(3) The District Education Officer/District Primary Education Officer will be competent to sanction, final payment, refundable and non-refundable loans/advances out of the contributory provident fund to the subscriber/applicant.

Transfer of employer's share of contributory provident fund.

16.(1) The employer's share with interest earned thereon would be transferred to the Director.

(2) The amount of employer's share of contribution to the contributory provident fund together with interest required to be refunded or actually refunded shall be recorded in the Service Book under proper attestation.

(3) Such of those employees retiring 11th day of May, 1998 to the date of publication of these rules who exercise option to be governed by these rules will be required to deposit the full amount of employer's share alongwith interest earned thereon plus twelve per cent calculated per annum on the amount actually drawn by the employees from the date of drawal of the said amount to the date of deposit with the Director.

The employees who will retire on or after coming into force of these rules and have already

drawn employer's share of contributory provident fund togetherwith interest accrued thereon (or in case of death of such an employee his legal heirs), are not in a position to refund the same in cash may be allowed to adjust the same against the amount of gratuity or arrears of pension that may be admissible to them. In such cases the employer's share of contributory provident fund togetherwith interest accrued thereon shall be refunded with 12% per annum interest on the amount actually drawn, calculatated from the date drawal of the said amount to the date of refund or adjustment and if there still remains any amount due, it will be adjusted by non payment of pension till recovery of the total amount is adjusted.

(4) The date of drawal and refund of the amount of employer's share togetherwith interest thereon shall be recorded in the service book and the entry shall be attested after verification by the District Education Officer/District Primay Education Officer concerned. The concerned employee or their legal heir, as the case may be, shall give an undertaking in writing to the effect that he has no objection to such recovery or adjustment.

#### CHAPTER V

17.(1) The employer's share shall be deposited under the head "0071-Contributions and Recoveries towards Pension and other Retirements Benefits -01-Civil-101-subscriptions and contribution - privately managed recognised aided schools." Deposit of employer's share and head of account. ~~---(91) Contribution from Private Schools~~ **towards Pension."**

(2) the employer's share specified in sub-rule (1) shall comprise :-

(a) the amount of the employer's share including that of the Government share given in the shape of grant-in-aid lying in the contributory provident fund account prior to the date of enforcement of these rules ;

(b) twenty—five per cent amount of the employer's share towards contributory

provident fund contributed on or after the date of enforcement of these rules ;

- (c) seventy-five per cent . amount of Government share towards the contributory provident fund being paid as grant-in-aid to the aided schools on or before the date of enforcement of these rules ;
- (d) the amount of interest accrued on the amounts specified above ;
- (e) any other amount as may be specifically paid by the Government towards the employer's share.

(3) The State Government shall make suitable provision in the annual budget under the head "2202-General Education -02-Secondary Education-110-Assistance to Non-Government Secondary Schools-VIII-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)" and "2202-General Education-01-Elementary Education-102-Assistance to Non-Government Primary School - Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)" for the payment of the retirement benefits admissible under these rules.

(4) Seventy-five per cent share towards the contributory provident fund being paid by the Government shall not be paid in future.

(5) Twenty-five per cent of the ten per cent of the pay of the employee towards the contributory provident fund payable by the Management shall also be deducted from the grant-in-aid sanctioned to the aided schools for crediting the same in the relevant head so that no amount remains pending for recovery from the Management.

6(a) The Management shall attach a detail (in triplicate) showing the necessary particulars that is, name, designation, amount of the contribution in respect of each employee and the grand total while presenting the demand draft to the District Education Officer/District Primary Education Officer every month.

(b) The concerned District Education Officer/District Primary Education Officer shall credit the demand draft so received to the relevant head of account by the 15th of every month.

(c) The District Education Officer/District Primary Education Officer shall indicate the Treasury Voucher No. and date of Challan and forward the photocopy to the Management for maintaining detailed account, and will submit the consolidated account to the Director.

(7) In case of default or non-implementation by the Management of any provision of these rules, the Director shall have right to deduct any amount that may be found due to the Management out of the amount of grant-in-aid and may suspend the grant-in-aid to the concerned aided school and may also remove the name of such school from the grant-in-aid list with the prior approval of the Government.

(8) (a) The Pension Branch (Aided School) created for this purpose in the office of the Director shall maintain a ledger showing district-wise the amount of collection. The branch of the office of Director dealing with the work of grant-in-aid to the aided schools shall supply to the Government district-wise quarterly statement showing details pertaining to the collection of the contributory provident fund to the Pension Branch (Aided School) of the Director in the following pro forma :--

Sr. No.	Name of aided School	Name of the employees	Amount of 25% management share of provident fund	Total amount	Remarks
1	2	3	4	5	6

(b) From the statements specified in clause (a), district-wise ledger accounts shall be posted and the entries of credit shall be reconciled in the office of the Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana, so that no discrepancy may arise in the account.

(9) The amount of the contributory provident fund which was due from the Management on the date of publication of these rules in the Official Gazette and has not been deposited, shall be deposited by the Management alongwith interest at the rates of interest applicable to the contributory provident fund.

(10) The payment under these rules after the sanction by the Director shall be made by the Director/Management on the basis of Pension Payment Order and the authority letter.

(11) The Management shall pay the total amount of gratuity to the retiree on the basis of letter of authority issued by the Director and claim seventy-five per cent of the said amount. The other benefits admissible under these rules shall be paid by the District Education Officer/District Primary Education Officer to the employee through management after the same is sanctioned by the Director and a copy of the sanction shall be conveyed to the Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana, concerned employee/family of the deceased, and the District Education Officer/District Primary Education Officer for making payment accordingly.

(12) All payments for the benefits under these rules shall be made under the expenditure head "2202-General Education-02-Secondary Education-110-Assistance of Non-Government Secondary Schools-VIII-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)" and "2202-General Education-01-Elementary Education-102-Assistance to Non-Government Primay School - Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)". The Department will draw the required amount of pension/family pension in advance every month of the subsequent month, so that the payment of pension should reach the pensioner/family pensioner on due date. The Department will make the payment through Management. The detailed procedure regarding disbursement will be issued separately by the Government.

(13) The amount of payment made under head "2202-General Education -02-Secondary Education-110-

Assistance to Non-Government Secondary Schools-VIII-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)" and "2202-General Education-01-Elementary Education-102-Assistance to Non-Government Primary School - Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)" benefit actually debited and shall be reconciled in the office of the Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana.

(14) The Pension Branch (Aided Schools) of the office of the Director shall maintain district-wise Pension Payment Orders register showing therein a complete particulars of the employees in whose favour Pension Payment Orders are issued and the accounts of payment of pension/family pension.

(15) There shall be a committee, for the implementation of the scheme, consisting of the Secretary to Government of Haryana, Department of Education, Secretary to Government of Haryana, Department of Finance, the Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana, the Director, Secondary Education, Haryana/Director Primary Education, Haryana and a representative of the employees of the aided schools representing such schools. Secretary to Government, Haryana, Department of Education, shall be the Chairman of the Committee and Director Secondary Education, Haryana, shall be *ex officio* Secretary of the Committee. The committee so constituted shall meet atleast once in a year to review the position of the scheme and implementation of these rules and also make recommendations to the Government for budget provision as required under these rules.

(16) The Director shall administer, control and operate the scheme.

(17) The Accountant General (Audit), Haryana, shall audit the individual accounts of the scheme.

#### CHAPTER VI

18. (1) The Management or District Education Officer/District Primary Education Officer shall take steps to assess the dues outstanding against the Adjustment of dues.

employee one year before the date on which he is due to retire on superannuation.

(2) The dues as assessed including those dues which come to the notice subsequently and which remain outstanding till the date of retirement of the employee, shall be adjusted against the amount of Death-cum-Retirement Gratuity becoming payable to the employee on his retirement.

(3) When employee retires from his service, an office order shall be issued to that effect by the Management and copies thereof shall be endorsed to the Director and District Education Officer/District Primary Education Officer concerned, as the case may be.

(4) The employee shall not be entitled for the benefits available under these rules until the transfer of employer's share of his contributory provident fund alongwith interest earned thereon in the relevant head of account.

Power to withhold pension.

19. The Director shall have the right of withholding or withdrawing pension or any part of it, if the pensioner is convicted by the Court of law of a serious crime or is guilty of a grave misconduct or proved by an enquiry conducted by the Government on or after retirement.

Arbitration.

20. If any dispute arises between the employee and Management relating to the delay in forwarding the pension papers of the employee, the matter shall be referred to the Director for the decision whose decision shall be final and binding upon the parties.

Head of account to debit expenditure

21. The charges on account of expenditure for benefits under these rules shall be debited to the head "2202-General Education-02-Secondary Education-110-Assistance to Non-Government Secondary Schools-VIII-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)" and "2202-General Education-01-Elementary Education-102-Assistance to Non-Government Primary Schools-Pension to Employees of State Aided Educational Institutions (Schools)".

22. If any question or doubt arises as to the interpretation of these rules, Government shall decide the same. Interpretation.

23. The Government shall have the right to review/modify/withdraw this scheme any time without assigning any reasons. Review of Scheme.

24. The Haryana Aided Schools (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, are hereby repealed : Repeal and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

**ANNEXURE**

(See rule 12)

---

Completed six-monthly period of qualifying service		Scale of service gratuity
1.	$\frac{1}{2}$	Month's Emoluments
2.	1	Month's Emoluments
3.	1-1/2	Months' Emoluments
4.	2	Months' Emoluments
5.	2-1/2	Months' Emoluments
6.	3	Months' Emoluments
7.	3-1/2	Months' Emoluments
8.	4	Months' Emoluments
9.	4-3/8	Months' Emoluments
10.	4-3/4	Months' Emoluments
11.	5-1/8	Months' Emoluments
12.	5-1/2	Months' Emoluments
13.	5-7/8	Months' Emoluments
14.	6-1/4	Months' Emoluments
15.	6-5/8	Months' Emoluments
16.	7	Months' Emoluments
17.	7-3/8	Months' Emoluments
18.	7-3/4	Months' Emoluments
19.	8-1/8	Months' Emoluments

---

FORM I

[See rule 3(1)]

(An agreement to be executed by the Management  
for the implementation of the retirement  
benefits to the employees)

An agreement made on this \_\_\_\_\_  
day of \_\_\_\_\_ between Management (here-  
inafter called the "Management", which expression  
shall, unless the contents otherwise requires, include  
its successors and assigns of the one part) and the  
Governor of Haryana acting through (hereinafter  
referred to as the "Government" which impression  
shall, unless the content otherwise requires,  
includes its successors and assigns of the other  
part).

Whereas the Government has decided to grant  
retirement benefits in lieu of contributory provident  
fund to the employees of aided schools in accordance  
with the procedure specified by the Government and  
subject to the condition that Management of the  
concerned aided schools shall execute an agreement  
to abide by the provisions of the Haryana Aided  
Schools (Special Pension and Contributory Provident  
Fund) Rules, 2001, and instructions issued from time  
to time in this respect by the Government;

And, whereas the Management, --vide resolution  
No. \_\_\_\_\_ dated the \_\_\_\_\_ in fulfilment  
of the condition for grant of retirement benefits in  
lieu of the Contributory Provident Fund, has agreed  
to abide by the provisions of the Haryana Aided  
Schools (Special Pension and Contributory Provident  
Fund) Rules, 2001, and instructions issued from time  
to time by the Government in this regard;

And whereas the existing employees governed  
by the contributory provident fund be governed by  
the Haryana Aided Schools (Special Pension and  
Contributory Provident Fund) Rules, 2001, the  
Management's share and the Government's share of  
the contributory provident fund from the date of  
their admittance to the contributory provident fund

alongwith the interest earned thereon up to the date of commencement of such rules are to be transferred to the Director;

And whereas the Management has also agreed to continue to contribute its share as such of the pay as may be fixed from time to time by the Director, as contributory provident fund of the employees to the relevant head of account under Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001 and this contribution shall be transferred to the Director;

Now, therefore, in pursuance of the said agreement, the Management hereby agrees that it shall duly, faithfully and punctually perform all the conditions set out in the agreement. In the event of the failure of the Management to act on the said conditions, the Director, Secondary Education, Haryana/the Director, Primary Education, Haryana, as the case may be, shall take such action against the Management, as may be deemed proper, within the framework of the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001.

In witness whereof the parties have signed, this deed on the date respectively mentioned against their signatures.

Signature \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

For and on behalf of  
the Governor of  
Haryana

For and on behalf of the  
Management

**Witnesses:**

**Witnesses:**

1. Signature \_\_\_\_\_

1. Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) MARCH 29, 2001 279  
(CHTR 8, 1923 SAKA)

---

2. Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

2. Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

FORM II

[See rule 3(1)]

UNDERTAKING

(In Triplicate)

Having read the instructions issued,—vide Haryana Government Memo No. \_\_\_\_\_ dated the \_\_\_\_\_ and fully understood the relevant rules as applicable in my case:—

- (a) I undertake to abide by all the instructions referred to above and as may be amended and issued from time to time in this regard.
- (b) I undertake to refund the amount on account of my employer's share as worked out by the Director.

**Witness:**

**Signature of the employee**

1. Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Name in full \_\_\_\_\_

Name in full \_\_\_\_\_ (in Block letters) (in Block letters)

Designation \_\_\_\_\_

2. Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

(Principal/Headmaster)

Office : \_\_\_\_\_

District Education Officer/  
District Primary Education  
Officer.

FORM III  
[See rule 3 (1)(b)(ii)]

OPTION

(In Triplicate)

Having read the instructions issued by the Haryana Government Memo No. \_\_\_\_\_ dated the \_\_\_\_\_ and fully understood the relevant rules as applicable in my case :—

- (a) I undertake to abide by all the instructions referred to above and as may be amended and issued from time to time in this regard ;
- (b) I opt the benefits available in the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001 ;
- (c) I undertake to deposit the amount of employer's share alongwith interest earned thereon as worked out by the Director.

Witness: \_\_\_\_\_ Signature of the employee \_\_\_\_\_

1. Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_ Name in full \_\_\_\_\_  
Name in full \_\_\_\_\_  
(in Block letters) (in Block letters)  
Designation \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_

2. Signature \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_  
(Principal/Headmaster)  
School: \_\_\_\_\_ District Education Officer/  
District Primary Education  
Officer.

P.K. CHAUDHERY,

Commissioner and Secretary to Government,  
Haryana, Education Department,  
Chandigarh.